The Jharkhand Highways Act, 2005

Act 7 of 2006

Keyword(s):
Animal, Construction, Construction Line, Cantt, Control Line, Atikraman, Highway, Highway Authority, Vehicle

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 92

5 फाल्गुन, 1927 शकाब्द
राँची, शुक्रवार 24 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी, 2006

संख्या-एल0जी0-05/2005-26/लेज0--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, ,2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 07, 2006]

झारखण्ड राज्य की सड़कों के निर्माण अनुरक्षण, विकास, अतिक्रमण का निषेध एवं उनके हटाने, सुधार शुल्क के उद्ग्रहण एवं आनुषांगिक विषयों का उपबंध करनें हेतु अधिनियम ।

चूँकि, किसी भी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति हेतु सड़कें मूल आवयश्कताओं में से एक है । यह आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है । अत: झारखण्ड राज्य की सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और विकास, सड़कों पर के समानान्तर पट्टी विकास अतिक्रमण का निषेध एवं उनका हटाना सुधार शुल्क के उदग्रहण एवं आनुषांगिक विषयों का उपबंध किया जाना आवश्यक हैं , और चूँकि, राजमार्गों के निर्माण, रख-रखाव, विकास तथा राजमार्गों के समानान्तर पट्टी के अवैध विकास एवं अवैध अतिक्रमण को रोकने एवं हटाने तथा उसे विकसित करने हेतु करारोपण करने और उन सबसे संबंधित तथा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना आवश्यक है ।

इसलिए भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -(1) यह अधिनियम झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत होगा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के सम्पूर्ण या कोई प्रावधान किसी क्षेत्र विशेष में एवं किसी तिथि विशेष से, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित हो, लागू होंगे।

परन्तु यह कि राज्य सरकार समान अधिसूचना के द्वारा किसी भी पथ, मार्ग या किसी भी वर्ग के पथ अथवा मार्ग, जो किसी भी क्षेत्र में अवस्थित हो को इस अधिनियम के सभी एवं किसी प्रावधानों के लागू होने के दायरे से बाहर रख सकेगी ।

2. **परिभाषाएँ**- इस अधिनियम में, जबतक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) "पशु" से अभिप्रेत है, कोई भी पालतू या किसी के बन्धन में रखा पशु,

(ख) "निर्माण" से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री एवं किसी भी तरीके से बनी संरचना (कृषि उद्देश्य से बने खलिहान समेत) और नींव, सीढ़ी, दीवाल (चहारदीवारियाँ, घेराबंदी सहित) और इस प्रकार की अन्य संरचना ।

(ग) "निर्माण रेखा" से अभिप्रेत है किसी राजमार्ग या किसी राजमार्ग के किसी अंश के एक या दोनों ओर उस राजमार्ग या अंश के संबंध में धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा नियत की गयी रेखा।

(घ) "छावनी" से अभिप्रेत है छावनी अधिनियम, (1924 का 2) के अधीन स्थापित छावनी ।

(ड.) "नियंत्रण रेखा" से अभिप्रेत है किसी राजमार्ग या किसी राजमार्ग के किसी अंश के दोनों ओर उस राजमार्ग या अंश के संबंध में निर्माण रेखा से बाहर की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा नियत की गयी रेखा ।

(च) "अतिक्रमण" से अभिप्रेत है किसी भी राजमार्ग या उसके किसी अंश का अनधिकृत अभिग्रहण और इसमें शामिल है :-

(i) अनधिकृत निर्माण का उत्थापन या किसी भी तरह की संरचना, छज्जा बारजा या प्रक्षेप जो राजमार्ग के उपर हो या प्रलम्बित हो ।

(ii) निर्माण सामग्री का ढेर लगाने या अन्य किसी प्रकार की सामग्री का संचयन के लिए, किसी भी प्रकार की वस्तुओं की विक्रय हेतु प्रदर्शनी के लिए खम्भों, खूटों, कनात, शामियाना, तख्तों के घेरे, विज्ञापन पट्टी और उसी प्रकार के अन्य उत्थापन या वाहनों के पड़ाव या पशुओं के बाँधने के लिए या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राजमार्ग का, विहित अवधि, यदि कोई हो, से अधिक अवधि का दखल, और

(iii) किसी भी राजमार्ग पर और उस राजमार्ग के तल पर किसी भी प्रकार का उत्खनन या ढेर लगाने की कारवाई,

(iv) किसी भी प्रकार के या किसी भी तरह के आस्था एवं विश्वास के स्मारक चिन्हों का उत्थापन और छविचित्रों, मूर्तियों, मजारों, समाधियों और बुतों का संस्थापन ।

(छ) "उत्थापन करने" से अभिप्रेत है किसी निर्माण के संबंध में व्याकरणीय विविधताओं के साथ संरचना निर्माण, पुनर्निमाण, संशोधन विस्तार या किसी निर्माण के मूल स्वरूप में परिवर्तन।

(ज) किसी भूखण्ड के संबंध में "उत्खनन" से अभिप्रेत है कि - कोई कार्य जो भूखण्ड के सतह का भेदन नही करता है शामिल नही है परन्तु कुआँ और तालाब शामिल है ।

(झ) "राजमार्ग" से अभिप्रेत है पथ, मार्ग या भू-भाग जो धारा 3 के अधीन राजमार्ग घोषित हो । इस अभिव्यक्ति में शामिल है :-

(i) कोई भी अधिग्रहित भूमि अथवा राजमार्ग निर्माण के संदर्भ में चिन्हित की गई भूमि ।

(ii) ढाल या चढ़ाई, पटरी या गड्ढ़े, फुटपाथ, खड्ण्जा और किनारा आवाह क्षेत्र, किनारे की नालियाँ जो उक्त मार्ग या सड़क से जुड़ी हों ।

(iii) सभी पुल, पुलियाँ , बाँध-पुल, सवारी योग्य रास्ते और अन्य प्रकार की संरचना जो कथित मार्ग या रास्ते पर या उनपर निर्मित हो, और

(iv) वृक्ष, घेरा, चहारदीवारी की बाहरी सीमा, आधा किलोमीटर और किलोमीटर के सूचक शिला स्तम्भ और अन्य राजमार्ग के अनुषंगी वस्तु विशेष और उनसे संबंधित सामग्री का ढेर जो पथ या रास्ते पर हो,

(ञ) "राजमार्ग प्राधिकार" से अभिप्रेत है ऐसे प्राधिकार के रूप में नियुक्त या धारा-4 के अधीन ऐसे प्राधिकार के रूप में कर्तव्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत प्राधिकार ।

(ट) "राजमार्ग सीमाएँ" से अभिप्रेत है किसी राजमार्ग की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा उस राजमार्ग के लिए नियत की गयी सीमाएँ ।

(ठ) "गमन का माध्यम" से अभिप्रेत है, कोई भी गमन का माध्यम, वाहन या पैदल गमन करने वाले के लिए जिसमें निजी या सार्वजनिक शामिल है और उसमें कोई भी मार्ग शामिल है ।

(ड) "राजमार्ग का मध्य" से अभिप्रेत है राजमार्ग की दोनों सीमारेखाओं के मध्य का विन्दु ।

(ढ) "अधिभोगी" में शामिल है :-

(क) कोई व्यक्ति जो तत्काल भुगतान कर रहा हो या जिसे परसिर का स्वामी, जिसके संबंध में ऐसा किराया दिया गया हो या दिया जाना हो का किराया या किराया का कोई अंश देना हो,

(ख) कोई स्वामी जो अपने परिसर में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उपभोग कर रहा हो ,

(ग) एक किरायामुक्त किरायेदार हो,

(घ) किसी परिसर का कोई अनुज्ञप्तिधारी, और

(ड.) कोई व्यक्ति जो किसी भी परिसर के उपयोग एवं उपभोग के क्रम में मालिकाना क्षति की पूर्ति का देनदार हो,

(ण) "स्वामी" से अभिप्रेत है :-

(क) जब किसी परिसर का संदर्भ के साथ उपभोग किया जा रहा हो, वह व्यक्ति जो कथित परिसरों का किराया प्राप्त करता हो या जो यदि परिसरों को किराये पर लगाया जाय तो किराया प्राप्त करने का अधिकारी हो और इसमें शामिल है :-

(i) कोई अभिकर्त्ता या न्यासी जो स्वामी हेतु इस प्रकार का किराया प्राप्त करता हो,

(ii) कोई अभिकर्त्ता या न्यासी जो धार्मिक या सहायता के उद्देश्य वाले परिसर का किराया प्राप्त करता हो, या इस हेतु प्राधिकृत हो या इससे सम्बद्ध हो,

(iii) कोई प्राप्त कर्त्ता, परिबद्ध कर्त्ता या प्रबंधक जो किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा नियुक्त हो, और

(iv) कोई रेहनदार,

(ख) जब किसी संस्था या उपक्रम के संदर्भ के साथ उपयोग में हो तो उक्त संस्था या उपक्रम का प्रबंधक ।

(त) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली में यथा विहित ।

(थ) "रेलवे प्रशासन" से वही अभिप्रेत है जो भारतीय रेलवे अधिनियम,(1890 का 9) से है ।

(द) "वाहन" में शामिल है, कोई ठेला, पशु द्वारा खीचा जाने वाले वाहन, हल, किसी भी तरह घसीटाजाने वाला वाहन और राजमार्ग पर चलनेवाले या उपयोग में लाये जानेवाले किसी भी प्रकार के पहियायुक्त वाहन,

(ध) इस अधिनियम में व्यवहृत "भूमि", "हितबद्ध व्यक्ति" और "कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति" अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो भू-अधिग्रहण अधिनियम, (1894 का 1) में है ।

अध्याय-2

राजमार्ग की घोषणा, राजमार्ग प्राधिकार और अधिकार एवं कर्त्तव्य

3. मार्ग पथ या भूमि की घोषणा-राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, किसी भी मार्ग, पथ या भूमि को राजमार्ग के रूप अधिसूचित कर सकेगी और निम्नांकित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी :-

(i) कोई राजकीय राजमार्ग (विशेष)
(ii) कोई राजकीय राजमार्ग
(iii) जिले की कोई मुख्य सड़क
(iv) जिले की अन्य कोई सड़क
(v) ग्रामीण पथ

4. राजमार्ग प्राधिकार की नियुक्ति-राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राज्य के सभी राजमार्गों या उसके अंश के लिए अथवा किसी खास राजमार्ग या राजमार्गों के लिए इस अधिनियम या इसके किसी प्रावधान के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकार को राजमार्ग प्राधिकार नियुक्त कर सकेगी ।

5. राममार्ग प्राधिकार के कर्त्तव्य-राजमार्ग प्राधिकार की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अध्यधीन तथा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन कोई राजमार्ग प्राधिकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन राजमार्गों के साथ-साथ चलने वाले समानान्तर-पट्टी के विकास की रोकथाम के लिए, अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए तथा इन सबसे संबंधित या इनसे आनुषंगिक उपर्युक्त सभी विषय के लिए करेगा । साथ ही, राज्य सरकार के अनुमोदन और ऐसे सामान्य या विशिष्ट आदेश जो राज्य सरकार इस हेतु बनाने के अध्यधीन होगा । राजमार्ग प्राधिकार हेतु यह विधि सम्मत होगा कि वह राजमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण विकास या सुधार करने का कार्य करें ।

6. राजमार्ग प्राधिकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी-इस अधिनियम के द्वारा या इसके प्रावधानों के अन्तर्गत राजमार्ग प्राधिकार को प्रदत्त अधिकारों एवं सौंपें गये कर्त्तव्यों का निष्पादन संभव हो सकने के लिए या राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि ऐसे प्राधिकार के अधीन कार्य करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय-3

समानान्तर पट्टी का निषेध

7. राज्यमार्गों की सीमा, निर्माण एवं नियंत्रण रेखाओं के निर्धारण का अधिकार-(1) किसी भी क्षेत्र में जहाँ इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत किये जा रहे हो, और

(i) जहाँ या तो कोई पथ, रास्ता या भूमि धारा-3 के अधीन राजमार्ग घोषित किया गया हो, या राजमार्ग के निर्माण या विकास की कार्रवाई प्रारम्भ हो, या कारवाई प्रस्तावित हो, और

(ii) राज्य सरकार के विचार से जहाँ ऐसे राजमार्ग के संबंध में राजमार्ग सीमा, निर्माण रेखा एवं नियंत्रण रेखा नियत किया जाना आवश्यक हो, वहाँ राज्य सरकार शासकीय राजपत्र के अधिसूचना के द्वारा वैसे राजमार्ग के सबंध में राजमार्ग सीमारेखा, निर्माण रेखा और नियंत्रण रेखा का निर्धारण कर सकेगी।

परंतु यह कि परस्थितिजन्य या राजमार्ग के आवश्यकतानुसार या स्थानीय क्षेत्र जहां से वह राजमार्ग गुजर रहा हो, की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के लिए किसी राजमार्ग या उसके किसी अंशु हेतु विभिन्न निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा का निर्धारण करना विधि सम्मत होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के कम से कम साठ दिनों पूर्व राज्य सरकार शासकीय राजपत्र और विहित रूपा में ग्राम में तथा प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों, जहाँ राजमार्ग अवस्थित है, में अधिसूचना प्रकाशित करायेगी कि वह उपधारा (1) के अधीन, अधिसूचना निर्गत करना प्रस्तावित कर रही है, और उसमें विशिष्ट रूप से वैसे सभी भू-भागों का उल्लेख करेगी जो राजमार्ग सीमा और नियंत्रण रेखा के बीच नियत किया जाना ऐसे अधिसूचना में प्रस्तावित हो और नवीन कार्यों के मामले में वैसे भू-भाग भी जो राजमार्ग के निर्माण या विकास जो भी मामला हो, से हितलाभ प्राप्त करेगें। एक नोटिस भी साथ-साथ निर्गत की जायेगी जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि वैसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव अधिसूचना जारी होने के संदर्भ में देना चाहे, अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशन से दो माहों के अंदर या ग्राम में अधिसूचना प्रकाशन के एक माह के अदंर या जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, राजमार्ग प्राधिकार को दे सकते हैं, या नहीं वैसे प्राधिकार के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं।

(3) राजमार्ग प्राधिकार, वैसी सभी आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने या सुनने जैसा भी मामला हो, के बाद में और अग्रेतर ऐसी जाँच यदि कोई हो, के उपरांत, जिसे वह आवश्यक समझे, इसके संरक्षण में उपलब्ध कार्यवाहियों के अभिलेख अपनी अनशंसाओं संबंधी प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों या सुझावों के दाखिले या सुनवाई की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हो तो, राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन तुरंत अधिसूचना निर्गत करेगी। यदि कोई आपत्ति या सुझाव दिये गये हों, तो राज्य सरकार उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेख एवं प्रतिवेदन पर विचार करेगी और या तो-

(क) उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव का परित्याग करेगी, या

(ख) वैसे संशोधनों के साथ, जिसे वह उचित समझे, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत करेगी।

(5) सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

8. नक्शा का निर्माण एवं अनुरक्षण-धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी राजमार्ग के प्रसंग में राजमार्ग सीमा, निर्माण रेखा और नियंत्रण रेखा के निर्धारण हेतु अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो माहों के अंदर, राजमार्ग प्राधिकार, उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करायेगा जिससे राजमार्ग गुजर रहा हो और उसमें वैसे राजमार्ग सीमा और निर्माण तथा नियंत्रण रेखाओं एवं इस अधिनियम के उद्देश्य से आवश्यक कोई अन्य विवरण को चिन्हित कर दर्शायेगा और नक्शे में सुधार हेतु किसी भी रद्दोबदल या परिवर्द्धन के एक माह के अंदर वैसा नक्शा उसपर पिछली बार संशोधित किये जाने की तिथि के साथ राजमार्ग प्राधिकार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। वैसा नक्शा राजमार्ग प्राधिकार के मुहर से युक्त होगा और निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा । वैसे नक्शें की प्रतियाँ अन्य स्थानों पर भी जैसाकि विहित किया जाय, निरीक्षण हेतु रखी जायेंगी ।

9. निर्माणों का निषेध :- (1) तत्काल प्रभावी किसी भी विधि, रूढ़िक एकरारनामा या लिखित में किसी बात के होते हुए भी, नियत तिथि को या बाद में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निम्नांकित बंधेज प्रभावी होंगें :- कोई व्यक्ति राजमार्ग प्राधिकार के लिखित पूर्वानुमति के बिना -

(क) उपधारा (2) के अधीन नियत किया जाना प्रस्तावित या धारा - 7 की उपधारा (1) के अधीन नियत, जैसा भी मामला हो, कोई भी भूमि जो राजमार्ग और निर्माण रेखा के मध्य अवस्थित हो पर :-

(i) किसी राजमार्ग को या गमन के माध्यम का निर्माण या खाका नहीं बनायेगा,

(ii) किसी भी निर्माण का उत्थापन नहीं करेगा , या

(iii) किसी वर्तमान निर्माण में भौतिक रूप से रद्दोबदल नहीं करेगा, या

(iv) किसी भी प्रकार का उत्खनन या उसका विस्तार नहीं करेगा, या

(v) किसी भी कार्य का निर्माण नहीं करेगा एवं स्वरूपा या खाका नहीं खीचेगा, अथवा

(ख) उपधारा (2) के अधीन नियत किया जाना प्रस्तावित या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियत, जैसा भी मामला हो कोई भी भूमि जो निर्माण रेखा एवं नियंत्रण रेखा के मध्य अवस्थित हो, पर :

(i) किसी राजमार्ग को या से गमन के माध्यम का निर्माण या खाका नहीं बनायेगा, या

(ii) किसी भी निर्माण का उत्थापन नहीं करेगा, या

(iii) किसी वर्तमान निर्माण में भौतिक रूप से रद्दोबदल नहीं करेगा,

(ग) किसी निर्माण का उपभोग नहीं करेगा या पूर्व से उत्थापित किसी निर्माण, जो राजमार्ग प्राधिकार के विचार से, चाहे जिस रूप में भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अतिलंधन करना हो, या के उपयोग परिवर्तन नहीं करेगा, जिस भूमि पर वह निर्माण उत्थापित हो, उससे सटे राजमार्ग के उपयोग में बाधा नहीं डालेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन इस प्राकर की अनुमति के इच्छुक हो, राजमार्ग प्राधिकार को ऐसे प्रपत्र में एक लिखित आवेदन देगा जिसमें ऐसी सूचनाएँ रहेगी जैसा कि निर्माण, रद्दोबदल, उत्खनन, या गमन का माध्यम जैसा भी मामला हो, जिससे आवेदन संबंधित हों के संदर्भ में विहित किया जाय ।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् राजमार्ग प्राधिकार ऐसी जाँच जैसा कि आवश्यक समझा जाय, के बाद लिखित आदेश पारित कर या तो :

(क) ऐसी शर्तें यदि कोई हो, के अधीन, जो आदेश में निर्दिष्ट हो, अनुमति देंगे, या

(ख) इस प्रकार की अनुमति दिये जाने से इनकार करेगे,

परन्तु यह कि:-

(i) किसी भूमिगत नाला, नाला विद्युत लाईन, पाईप, नलिका या दूसरे उपकरण मरम्मती, नवीकरण, विस्तारण या अनुरक्षण हेतु भूमि पर किसी उत्खनन या निर्माण संरचन या खाका खीचने के कार्य की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुमति को न तो रोका जायेगा न ही उसे किसी भी शर्तों के अधीन किया जायेगा, सिवाय कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाले, नाला-विद्युत लाईन, पाईप, नलिका या अन्य उपकरण इस रूप में संस्थापित किये जायें या इस स्तर पर हो कि सड़क का निर्माण, अनुरक्षण, विकास, वहां पर रूके नहीं या एहतियाति तौर पर प्रतिकूल रूप में प्रभावित न हो,

(ii) किसी निर्माण हेतु उत्थापन या रद्दोबदल या राजमार्ग पर किसी भी गमन के माध्यम हेतु खींचा गया खाका जो लोक स्वास्थय और कल्याण की आवश्यकताओं और सम्पर्क पथों पर ट्रैफिक की सुरक्षा एवं सुविधा के अनुरूप हो, के लिए उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुमति को न तो रोका जायेगा और न ही अतार्किक शर्तों के अन्तर्गत दिया जायेगा,

परन्तु यह कि कृषि कार्य हेतु आवश्यक गमन के माध्यम के मामले में ऐसी अनुमति न तो रोकी जायेगी और न ही किसी और शर्त के अधीन दी जायेगी, सिवाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि गमन का माध्यम केवल कृषि कार्य के उद्देश्य से हो ।

(iii) किसी निर्माण जो नियत तिथि के पूर्व अस्तित्व में हो, के पुर्नउत्थापन या रद्दोबदल हेतु उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुमति को न तो रोक जायेगा और न ही किसी बंधेज के अधीन किया जायेगा, जबतक कि ऐसे पुर्नउत्थापन या रद्दोबदल में निर्माण के बाह्य स्वरूप में भौतिक रद्दोबदल न हो रहा हो ।

(4) जब राजमार्ग प्राधिकार अनुमति देना अस्वीकृत कर दे, तो ऐसा करने के कारणों का अभिलिखित किया जायेगा और आवेदक को संसूचित किया जायेगा ।

परन्तु यह कि उसमें निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को, उसे संसूचित आपत्तिजनक अंशो, जिसके आधार पर अनुमति दिया जाना अस्वीकृत किया गया है, को उसमें से विलोपित कर देने के बाद, पुनः नया आवेदन देने से वंचित नहीं करेगा ।

(5) यदि ऐसी अनुमति हेतु राजमार्ग प्राधिकार को आवेदक के नाम और पते के साथ दिये गये आवेदन के बाद तीन माह की अवधि व्यतीत हो गई हो, या तीन माह से अनधिक वैसी अवधि जो राजमार्ग प्राधिकार द्वारा अधिसूचित की गयी हो, समाप्त हो गयी हो और कोई भी लिखित निर्णय आवेदक के पते पर डाक से नही भेजा गया हो या आवेदक के पते पर तामिला नहीं किया गया हो तो (अपवादतः जहाँ राजमार्ग प्राधिकार एवं आवेदक परस्पर लिखित रूप में सहमत हों)। राजमार्ग प्राधिकार द्वारा किसी भी शर्त्त के आरोपण के बिना ही अनुमति दे दी गयी समझी जायेगी ।

(6) राजमार्ग प्राधिकार, इस धारा के अधीन उसके द्वारा जारी की गयी सभी अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञप्ति दिये जाने से इन्कार करने के पर्याप्त व्यौरें के साथ, एक पंजी संधारित करेगा और वह पंजी बिना किसी शुल्क के सभी इच्छुक व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी और ऐसे व्यक्ति उससे उद्धरण लेने के हकदार होंगे ।

व्याख्या :- इस धारा के उद्देश्य से किसी भी राजमार्ग परिसीमा, निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा के संदर्भ में "नियत तिथि" से अभिप्रेत है :-

(i) वह तिथि, जिस दिन शासकीय राजपत्र में धारा-7 की उपधारा (2) के अधीन राजमार्ग परिसीमा, निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा नियत किया जाना प्रस्तावित करने संबंधी अधिसूचना प्रकशित की गयी हो, और

(ii) यदि उक्त राजमार्ग परिसीमा, निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा में कोई भी संशोधन किया जाय, तो वह तिथि जिस दिन धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन राजमार्ग परिसीमा, निर्माण रेखा और नियंत्रण रेखा नियत करने की अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो ।

10. अपील/अभ्यर्थना-

(i) अगर कोई आवेदक धारा-9 के अधीन राजमार्ग प्राधिकार के अनुमति रोकने या किसी शर्त के आरोपण करने संबंधी किसी निर्णय से विक्षुब्ध हो, तो वह उक्त निर्णय संसूचित किये जाने की तिथि से तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(ii) राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का मौका देने के बाद ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा कि वह अपील पर उचित समझे और राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. अपवाद जहाँ कार्य प्रगति पर है इत्यादि :-

(i) धारा-9 में संदर्भित नियत तिथि के पूर्व के उत्थापन निर्माण का प्रारम्भ या उत्खनन या संरचना या निर्माण का खाका या गमन के किसी माध्यम या कार्य के प्रारम्भ के लिए धारा-9 के अन्तर्गत प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

(ii) निर्माण, संरचना या खाका तैयार करना या गमन का माध्यम से संबंधित प्रतिबंध को छोड़कर, धारा-9 के अन्तर्गत प्रभावी प्रतिबन्ध, कोई भूमि जो कब्रगाह या श्मशान का अंश हो या अन्य स्थान जो मृतकों के निष्पादनार्थ भूमि हो, जो इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व से ऐसे उपयोग में लाई जा रही हो, पर लागू नहीं होगा ।

(iii) किसी उत्खनन या किसी नाला, गढ़ढे या अन्य जल निःसरण से संबंधित आवश्यक कार्य जो कृषि उद्देश्यों से या कोई अन्य कार्य जो मरम्मती, नवीकरण, वृहदीकरण या किसी भूमिगत नाले, नाला विद्युत् लाईन, पाईप नलिका या अन्य उपकरण के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हो, जो प्रतिबंध लागू किये जाने की तिथि के पूर्व से अथवा उस तिथि या उसके बाद राजमार्ग प्राधिकार की अनुमति से भूमि के अन्दर या उपर निर्मित एवं अस्तित्व में हो, पर धारा-9 के अधीन प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

12. **निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा का पुर्नसमायोजन** :- धारा-9 में संदर्भित नियत तिथि के पूर्व जब कभी किसी निर्माण या उसके अंश का उत्थापन निर्माण रेखा और राजमार्ग के मध्य के बीच में अवस्थित हो, तो राजमार्ग प्राधिकार, जब कभी ऐसी किसी निर्माण या उसका अंश पूर्ण रूप से या उसका अधिकांश ले लिया गया हो, जला दिया गया या ध्वस्त हो गया हो तो सूचना जारी कर आदेश दे सकेगा कि ऐसे निर्माण या उसके अंश जब पुनः उत्थापित किये जाय तो वह निर्माण रेखा या नियंत्रण रेखा तक ही परिमित हो ।

13. **राजमार्ग पर गमन का विनियमन एवं अपवर्तन** :-

(1) अगर सुरक्षा या यातायात की सुविधा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत हो तो राजमार्ग प्राधिकार राजमार्ग, पर गमन के वर्तमान अधिकार को नियंत्रण रेखा एवं राजमार्ग परिसीमा के बीच पड़ी भूमि के पार विनियमित एवं अपवर्तित कर सकेगा ,

परन्तु यह कि वर्तमान गमनाधिकार तबतक अपवर्तित नहीं किया जायेगा, जबतक कि वैकल्पिक गमन उपलब्ध नहीं करा दिया जाय ।

(2) जहाँ वर्तमान गमनाधिकार अपवर्तित किया जाय वहाँ राजमार्ग को दिया गया वैकल्पिक गमन का बिन्दु वर्तमान गमन बिन्दु से अतार्किक रूप से दूर न हो ।

(3) राजमार्ग प्राधिकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह तिथि प्रकाशित करेगा जबसे वर्तमान गमनाधिकार अपवर्तित किया गया है और वैकल्पिक गमन दिया गया है ।

14. **राजमार्ग प्राधिकार और धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार** :-इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन हेतु राजमार्ग प्राधिकार और धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी

(क) किसी भी भूमि पर प्रवेश, उसका सर्वेक्षण एवं माप तथा तलमापन कर सकेगा ,

(ख) ऐसा तलमापन का चिन्हीकरण हेतु अवमृदा के भीतर तक खुदाई या परिवेधन कर सकेगा ।

(ग) राजमार्ग की परिसीमाओं का शिला स्तम्भों या अन्य उपयुक्त टिकाउ व विभिन्न रंगों के चिन्हों द्वारा सीमांकन करेगा, जो निश्चित अंतराल पर पूरे राजमार्ग पर इस प्रकार से विन्यसित होंगे कि ऐसे शिलास्तम्भों या चिन्हों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा पथ परिसीमा को सही रूप में दर्शायें ।

(घ) पथ परिसीमा पर जहां मोड़ या धुमाव है, वहां शिला स्तम्भों या चिह्नों का अंकन विभिन्न रंगो में इस प्रकार से करेगा कि वे अगर सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ी जाये तो परिसीमा का सही विन्यास दर्शायें ।

(ड0) शिलास्तम्भों या चिह्नों पर क्रमिक संख्यांकन करेगा और उन्हें सतह पर इस प्रकार स्थिर रखेगा जैसे वे राजमार्ग का भाग हो ।

(च) निर्माण एवं नियंत्रण रेखाओं का खाका विभिन्न रंगों से चिन्हित करके एवं खाई खोद कर खीचेगा ।

(छ) अगर किसी प्रकार सर्वेक्षण नहीं हो सके या भू-मापन या तलमापन या सीमांकन या रेखाओं का खाका न खींची जा सकें तो इस हेतु वहां किसी खड़ी फसल, पेड़, बाढ़ या जंगल या उसके किसी भाग को काटेगा और भूमि का साफ करेगा ।

(ज) इस संबंध में अन्य सभी प्रकार की आनुषंगिक कार्रवाई करेगा परन्तु यह कि राजमार्ग प्राधिकार किसी परिसर में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालिस घंटे पूर्व की लिखित सूचना अधिभोगी को पहले ही दिये बिना या संबंधित अधिभोगी की सहमति के बिना किसी परिसर में न तो प्रवेश करेगा न ही अपने पदाधिकारियों या कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति देगा ।

15. भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति :-

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु राजमार्ग प्राधिकार द्वारा अपेक्षित कोई भी भूमि लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि समझी जायेगी और प्राधिकार से अनुरोध प्राप्त होने पर

ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस प्राधिकार के लिए अधिग्रहित की जा सकेगी ।

(2) राजमार्ग प्राधिकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार की अधियाचना के साथ राज्य सरकार से अनुरोध किये जाने पर और राज्य सरकार द्वारा संतुष्ट हो, लेने पर कि कोई भी भूमि किसी लोक प्रयोजन हेतु राजमार्ग या उसके अंश पर निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन या परिचालन हेतु आवश्यक है, इस भूमि के अधिग्रहण के आशय की घोषणा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा करेगी ।

परन्तु यह कि यदि अधिग्रहण के आशयवाली भूमि अनुसूचित क्षेत्र में अवस्थित हो, तो ऐसी भूमि के अधिग्रहण के आशय की धोषण के पूर्व, राज्य सरकार या इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी, उस प्रक्रिया के अनुसार निम्नांकित से परामर्श करेगा जैसा इस हेतु राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा विहित की गई हो,

(i) यदि भूमि किसी ग्राम की परिसीमा के अन्तर्गत हो तो संबंधित ग्रामसभा या पंचायत से,

(ii) यदि भूमि किसी प्रखण्ड के एक से अधिक ग्राम की परिसीमा के अन्तर्गत हो तो, संबंधित पंचायत समिति से,

(iii) यदि भूमि किसी जिले के एक से अधिक प्रखण्डों की परिसीमा के अन्तर्गत हो तो संबंधित जिला परिषद् से ।

व्याख्या :- इस उपधारा के उद्देश्य से

(क) "ग्राम सभा" और "अनुसूचित क्षेत्र" से वही अभिप्रेत है जो क्रमशः इससे झारखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2001 में है ।

(ख) "पंचायत समिति" और "जिला परिषद्" से वहीं अभिप्रेत है जो क्रमशः इससे झारखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2001 में है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का एक संक्षिप्त विवरण अंकित रहेगा ।

(4) इस अधिनियम के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए, राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी (जिसे इसमें आगे भू-अर्जन "पदाधिकारी" कहा जायेगा) घोषणा के सारांश को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक जन भाषा में होगा, प्रकाशित करायेगा ।

16. प्रवेश या सर्वेक्षण इत्यादि की शक्तियाँ-धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना होने पर भू-अर्जन पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए विधि सम्मत होगा कि :-

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, परिमाप, मूल्यांकन या जाँच करें,

(ख) तलमापन का कार्य करें,

(ग) अवमृदा के भीतर खुदाई या परिवेधन करें,

(घ) परिसीमा निर्धारित करें और कार्य की रूप रेखा नियत करें,

(ड.) वैसे तलमापों, परिसीमाओं और रेखाओं को अंकित कर उसे खंदक खोद कर चिन्हित करें,

(च) वैसी अन्य दूसरी कार्रवाई या कार्य करें जो विहित किये गये हो,

17. आपत्तियों की सुनवाई-

(1) ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, जिनकी धारा-7 के अधीन अधिसूचना के क्रम में आपत्तियों या सुझावों पर राजमार्ग प्राधिकार द्वारा विचार किया जा चुका है या उन्हें सुना जा चुका है, भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा-15 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए भूमि के उपभोग के विरुद्ध आपत्ति कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, भू-अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में दिये जायेगें एवं उसमें आपत्ति के आधार दर्शायें जायेगें और भू-अर्जन पदाधिकारी आपत्तिकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और सभी वैसी आपत्तियों को सुनने एवं ऐसी अग्रतर जाँच, यदि कोई हो जैसाकि भू-अर्जन पदाधिकारी आवश्यक समझे, के उपरान्त आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगा ।

व्याख्या : इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु "विधि व्यवसायी" से वही अभिप्रेत है जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में है।

(3) उपधारा (2) के अधीन भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अन्तिम होगा ।

18. अधिग्रहण की अधिघोषणा :-(1) जहां भू-अर्जन पदाधिकारी के समक्ष धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन विहित अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं की गई हो या जहाँ भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया हो, वहां भू-अर्जन पदाधिकारी, यथाशीघ्र, तदनुसार राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन समर्पित करेगा और राज्य सरकार वैसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अधिघोषित करेगी कि धारा-15 की उपधारा (2) में उल्लेखित प्रयोजन या प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहित की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिघोषणा के प्रकाशनोपरान्त वह भूमि सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त होकर राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन हो जायेगी ।

(3) जहां किसी भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो गयी हो परन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर उपधारा (1) के अधीन अधिघोषणा नहीं की गई हो वहां उक्त अधिसूचना निष्प्रभावी हो जायेगी ।

परन्तु यह कि उक्त एक वर्ष की अवधि गणना करने के क्रम में वैसी अवधि या अवधियों, जिनके दरम्यान धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के क्रम में की जानेवाली किसी क्रिया या कार्यवाही का स्थगन किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा किया गया हो को शामिल नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी अधिघोषणा को किसी न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकार के द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

19. आधिपत्य प्राप्त करने की शक्तियाँ-

(1) जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कोई भूमि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गयी हो, और भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा धारा 19 ख के अधीन वैसी भूमि के संदर्भ में निर्धारित रकम धारा 19-ग की उपधारा (1) के अधीन भू-अर्जन पदाधिकारी के पास राज्य सरकार द्वारा जमा कर दी गई हो, वहां भू-अर्जन पदाधिकारी, एक लिखित सूचना द्वारा भू-स्वामी तथा किसी अन्य व्यक्ति, जिसका ऐसी भूमि पर स्वामित्व हो, को निर्देश दे सकेगा कि वहाँ भू-अर्जन पदाधिकारी या उसके द्वारा इस हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सूचना तामिल कराये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर, ऐसी भूमि अभ्यर्पित कर दे या स्वामित्व दे दें ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है या असफल रहता है तो भू-अर्जन पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त को आवेदन करेगा, और उपायुक्त उक्त भूमि का अभ्यर्पण भू-अर्जन पदाधिकारी या उसके द्वारा इस हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवर्तित करायेगा ।

ऐसा भू-अंतरण होने के पश्चात् जमाबंदी पंजी में संशोधन कर दिया जायेगा जिसकी एक प्रति ऐसे अन्तरण के पन्द्रह दिनों के भीतर भू-अर्जन पदाधिकारी को निःशुल्क प्रेषित की जायेगी ।

19-क जहां भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है, वहां भूमि पर प्रवेश का अधिकार :- जहां धारा-18 के अधीन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो गया हो वहां भू-अर्जन पदाधिकारी या उसके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उस पर प्रवेश करना

और किसी राजमार्ग या उसके अंश के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन या परिचालन, अथवा उससे संबंधित अन्य कार्य के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना, विधिसम्मत होगा ।

19-ख मुआवजा के रूप में देय रकम का निर्धारण :-(1) जहाँ इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की जायेगी वहां मुआवजा हेतु रकम दी जायेगी जिसका निर्धारण इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) जहां मुआवजा रकम का निर्धारण राज्य सरकार एवं मुआवजा पानेवाले व्यक्ति के मध्य करारनामा द्वारा किया गया है, वहां यह वैसे करारनामा के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

(3) जहां ऐसा करारनामा न हो पाये वहां ऐसे अधिग्रहण हेतु दी जाने वाली मुआवजा रकम के निर्धारण हेतु राज्य सरकार मामले को एवं उन व्यक्ति या व्यक्तिओं को भी, जिन्हें मुआवजा दिया जायेगा, भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्दिष्ट करेगी ।

परन्तु यह कि भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित, राशि से अधिक मुआवजा, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना, निर्धारित नहीं किया जायेगा ।

(4) उपधारा-3 में किसी बात के होते हुए भी भू-अर्जन पदाधिकारी को उपधारा (3) के अधीन मामला निर्दिष्ट किये जाने के उपरान्त, परन्तु भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा रकम का अन्तिम रूप से निर्धारण किये जाने के पूर्व, यदि मुआवजा पानेवाले एवं राज्य सरकार के बीच मुआवजा रकम का करारनामा द्वारा निर्धारण हो चुका हो, तो भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण वैसे करारनामा के अनुसार किया जायेगा ।

(5) जहां किसी उपभोक्ता का अधिकार या किसी सुविधाधिकार के रूप में कोई अधिकार किसी भूमि पर इस अधिनियम के अधीन अर्जित होता है तो इस प्रकार के अधिग्रहण से किसी भी रूप में प्रभावित होने वाले स्वामी एवं अन्य किसी व्यक्ति, जिसका उस भूमि पर सुखाचार का अधिकार किसी भी रूप में प्रभावित हुआ, हो को, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए या उस भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक के लिए, जो भी पहले हो, उपधारा (2) या उपधारा (3), जैसा भी उस भूमि के लिए मामला हो, के अधीन निर्धारित रकम का दस प्रतिशत भुगतान किया जायेगा ।

(6) उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन रकम निर्धारित किये जाने के पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी, अर्जित की जानेवाली भूमि से हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावा आमंत्रित करने हेतु, दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक जन भाषा में हो, एक आम सूचना प्रकाशित करेगा ।

(7) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण रहेगा और उस भूमि से हितबद्ध सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसमें वर्णित समय और स्थान पर स्वयं या किसी अभिकर्त्ता के माध्यम से या धारा 17 की उपधारा (2) में संदर्भित विधि व्यवसायी के माध्यम से भू-अर्जन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो और उस भूमि से संबंधित अपने-अपने हितों की प्रकृति को लिखित रूप से जो पक्षकार या अभिकर्त्ता या विधि व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करें ।

(8) यदि भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन निर्धारित रकम किसी भी पक्ष को स्वीकार्य न हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ रकम का निर्धारण करेगा ।

(9) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत के प्रत्येक माध्यस्थम पर माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होगे ।

(10) उपधारा (3) या उपधारा (8), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत रकम का निर्धारण करते समय भू-अर्जन पदाधिकारी या मध्यस्थ निम्नांकित पर विचार करेगा :-

(क) धारा 15 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि का बाजार मूल्य,

(ख) क्षति, यदि कोई हो, जो हितबद्ध व्यक्ति ने भूमि के कब्जा में लिए जाते समय उस भूमि के अन्य भूमि से पृथक किये जाने के कारण उठाया हो,

(ग) क्षति, यदि कोई हो, जो हितबद्ध व्यक्ति को भूमि कब्जा में लिये जाते समय उसकी अन्य स्थावर सम्पत्ति या उपार्जनों पर भू-अर्जन के फलस्वरूप हानिकारक प्रभाव के कारण हुआ हो ।

(घ) यदि, भू-अर्जन के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपना निवास या कारोबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, तो ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो,

19-ग. रकम का जमा एवं भुगतान-(1) भूमि का कब्जा लेने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा धारा 19-ख के अधीन निर्धारित की गई रकम को विहित रूप में भू-अर्जन पदाधिकारी के पास जमा करा दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रकम जमा हो जाने के उपरान्त, यथाशीध्र, राज्य सरकार की ओर से भू-अर्जन पदाधिकाारी रकम का भुगतान हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जमा रकम के संबंध में जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करें वहां भू-अर्जन पदाधिकारी स्वविवेक से यह निर्णय लेगा कि उनमें से प्रत्येक को दी जानेवाली रकम को पाने का, उसके विचार में, कौन हकदार है।

(4) जब किसी व्यक्ति जिसे वह रकम या उसका कोई भाग संदेय है, तो रकम या उसके किसी भाग के प्रमाणन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो भू-अर्जन पदाधिकारी ऐसे विवाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्दर वह भूमि अवस्थित हो, के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

(5) जहां धारा 19ख की उपधारा (8) के अधीन मध्यस्थ द्वारा निर्धारित रकम भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई रकम से अधिक हो, तो वहां मध्यस्थ ब्याज संदेय करेगा जो लागू बैंक दर से कम नहीं होगा और ऐसे अंतर की राशि पर अधिकतम नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से धारा 19 के अधीन कब्जे में लिए जाने की तिथि से वास्तविक जमा की तिथि तक के लिए देय होगा ।

(6) जहां मध्यस्थ द्वारा निर्धारित रकम भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक हो, वहां उपधारा (5) के अधीन अधिनिर्णीत अन्तर की राशि, सूद सहित, यदि कोई हो राज्य सरकार विहित रूप में भू- अर्जन पदाधिकारी के पास जमा करायेगी और ऐसी जमा पर उपधारा (2) से (4) तक के प्रावधान लागू होंगे ।

19-घ.भू-अर्जन पदाधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ - इस अधि नियम के उद्देश्यों से, भू-अर्जन पदाधिकाारी को, निम्नांकित विषयों के संदर्भ में "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908" के अधीन मामलों की सुनवाई के दौरान, किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी -

(क) किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति बाध्य करने तथा शपथ द्वारा उसका परीक्षण करना,

(ख) किसी अभिलेख की खोज एवं प्रस्तुत कराना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य की प्राप्ति कराना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अधियाचना करना,

(ड.) गवाहों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना ,

अध्याय-4

किसी राजमार्ग के अनधिकृत दखल और उस पर अतिक्रमण की रोकथाम और अतिक्रमण को हटाना ।

20. राजमार्ग के अन्तर्गत की भूमि का राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाना-वैसी सभी भूमि, जो राजमार्ग के भाग हो, किन्तु जो राज्य सरकार में अबतक निहित नहीं हो, इस अध्याय के उद्देश्यों से राज्य सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी ।

21. राजमार्ग के अनधिकृत दखल का निषेध :-(1) राजमार्ग प्राधिकार या राजमार्ग प्राधिकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति राजमार्ग परिसीमा के अन्तर्गत किसी राजमार्ग का दखल या अतिक्रमण नहीं करेगा ।

(2) यातायात की सम्यक् सुरक्षा एवं सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आरोपित ऐसी शर्तों और विहित ऐसी नियमावली के अध्यधीन यातायात की राजमार्ग प्राधिकार या इस हेतु राजमार्ग प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, ऐसी नियमावली के अधीन विहित ऐसे किराया या अन्य शुल्क की अदायगी पर किसी व्यक्ति को निम्नांकित के संबंध में अनुज्ञा दे सकेगा -

(i) उसके स्वामित्व के किसी निर्माण के सामने किसी राजमार्ग का अस्थायी अतिक्रमण या राजमार्ग के उपर किसी अस्थायी संरचना को लटकाना, या

(ii) किसी राजमार्ग पर अस्थायी आच्छादन या तम्बू, पंडाल या अन्य समान उत्थापन या कोई छोटी दुकान या मचान लगाना, या

(iii) किसी राजमार्ग पर निर्माण सामग्री का ढेर, बिक्री हेतु सामग्री या अन्य वस्तु का ढेर लगाना या लगवाना, या,

(iv) किसी निकटवर्ती निर्माण की मरम्मती या सुधार करने हेतु अस्थायी उत्खनन करना,

परन्तु यह कि कोई भी अनुज्ञा एक वर्ष की अवधि से उपर वैध नहीं होगी, जबतक कि राजमार्ग प्राधिकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकाारी द्वारा सुस्पष्ट नवीकरण न किया जाय ।

(3) ऐसी मंजूर की गयी अनुज्ञा में अनुमति समाप्त होने की तिथि अर्थात् राजमार्ग दखल हेतु व्यक्ति किस अवधि तक अधिकृत है, किस प्रयोजन से दखल हेतु अधिकृत है और राजमार्ग के किस वास्तविक अंश के दखल की अनुमति दी गयी है, का स्पष्ट उल्लेख रहेगा और यदि आवश्यक हो तो राजमार्ग के उस अंश का एक खाका या रेखाचित्र भी संलग्न रहेगा ।

रेखा चित्र पर इस हेतु विधिवत प्राधिकृत राजमार्ग प्राधिकार के पृष्ठांकन तथा मुहर के साथ समाप्ति तिथि एवं संदर्भ संख्या अंकित रहेगी ।

(4) जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी अनुज्ञा दी गई हो वह राजमार्ग प्राधिकार या इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच हेतु अनुज्ञा-पत्र को प्रस्तुत करेगा और अनुज्ञा-पत्र में विहित अवधि के समाप्त होने पर अपने दखल से भूमि को मुक्त करेगा ।

(5) राजमार्ग प्राधिकार या अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला पदाधिकारी वैसी सभी जारी की गई अनुज्ञा पत्रों का पूर्ण विवरण संधारित करेगा और सभी मामलों में प्राधिकृत दखल अवधि की समाप्ति पर जाँच करवाकर सुनिश्चित हो लेगा कि भूमि वस्तुतः खाली कर दी गई है।

22. अनुज्ञा पत्र रद्द करने की शक्तियाँ :-

(1) धारा 21 के अधीन मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा को, अनुज्ञा-पत्र की वैधता की अवधि के अन्दर, राजमार्ग प्राधिकार रद्द कर सकेगा -

(क) यदि कोई किराया या शुल्क सम्यक् रूप से नहीं चुकाया गया हो,

(ख) यदि अनुज्ञा का उद्देश्य समाप्त हो गया हो ,

(ग) यदि अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा ऐसी अनुज्ञा या उसकी किन्हीं शर्तों या प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो

(घ) यदि उस भूमि जिस पर अतिक्रमण बनाया गया हो, की जरूरत लोक उद्देश्य हेतु आवश्यक हो या ऐसा अतिक्रमण यातायात के लिए रुकावट या खतरा पैदा कर रहा हो ।

(2) जहां अनुज्ञा उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन रद्द की गयी हो वहां अग्रिम रूप से चुकाया गया किराया या शुल्क, राज्य सरकार के किसी बकाये को घटाकार, अनुज्ञाधारी को वापस कर दिया जायेगा ।

23. अतिक्रमण का निषेध :-(1) जब राजमार्ग परिसीमा की जाँच के परिणामस्वरूप या अन्य प्रकार से परिलक्षित हो कि किसी राजमार्ग पर अतिक्रमण हुआ है तो राजमार्ग प्राधिकार या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को एक सूचना तामिल करायेगा, कि वह सूचना के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वैसे अतिक्रमण को हटा ले और भूमि को मूल स्वरूप में पुर्नप्रतिष्ठित करें ।

(2) सूचना में अतिक्रमण को हटा लेने की समय सीमा उल्लेखित रहेगी और यह भी उल्लेख रहेगा कि निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत अनुपालन नही किये जाने की स्थिति में व्यक्ति अभियोजन और सरसरी बेदखली की कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा ।

(3) यदि सूचना में निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है और अनुपालन नहीं करने हेतु कोई वैध कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकृत पदाधिकारी उपयुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष वैसे व्यक्ति पर अतिक्रमण करने या करवाने एवं निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटाने में असफल रहने के लिए मुकदमा कर सकेगा ।

(4) जहाँ वस्तुओं की प्रदर्शनी द्वारा बिक्री के प्रयोजन से बिक्री हेतु अस्थायी गुमटी लगाकर या तुच्छ प्रकृति का समान प्रयोजन हेतु अतिक्रमण किया जाय, वहाँ राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकृत पदाधिकारी उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना जारी किये बिना ही , वैसे अतिक्रमण को, आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता से, सरसरी तौर पर हटा सकेगा या अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह विकल्प दे सकेगा कि वह अतिक्रमण क्षेत्र का किराया भुगतान करते हुए राजमार्ग प्राधिकार के पक्ष में पट्टा बनवा लें ।

(5) जब अतिक्रमण अस्थायी प्रकृति का हो एवं सरलता से हटाया जा सकता हो परन्तु उपधारा (4) के अर्थान्तर्गत तुच्छ प्रकृति का न हो, तब राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकृत पदाधिकारी, अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति पर उपधारा (3) के अधीन मुकादमा करने के अलावे या उसके बदले उसे सरसरी तौर पर, आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता से, बेदखल कर सकेगा ।

(6) जहाँ अतिक्रमण इस प्रकृति का हो कि उसका तुरत हटाया जाना राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा या राजमार्ग का अंश बने किसी संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, वहाँ राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (3) के अधीन अतिक्रमणकारी व्यक्ति पर मुकादमा करने के अलावे या तो :-

(i) राजमार्ग पर यातायात को संभावित खतरे को न्यूनतम करने के लिए युक्तियुक्त व्यय पर संरक्षणात्मक कार्य कराया जाना बाध्य कर सकेगा, या

(ii) आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता से अतिक्रमण को हटा सकेगा ।

23-क. धारा 23 के अधीन निर्गत ऐसी सूचना की एक प्रति विभिन्न लोक उपयोगी अभिकरणों यथा विद्युत, दूरभाष, जलापूर्त्ति/निःसरण पर्षद, नगरपालिका/ स्थानीय शासन प्राधिकारों को भेजी जायेगी जो ऐसी सुविधाओं को उस भूखण्ड/परिसर से रद्द करने की नियमानुसार प्रक्रिया आरम्भ करेंगे ।

24. धारा-23 की उपधारा (1) के अधीन तामिल सूचना के विरुद्ध अपील: जहां वह व्यक्ति जिस पर धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अतिक्रमण हटाने हेतु सूचना तामिल करायी गयी हो, दावा प्रस्तुत करता हो कि वह भूमि जिसके संबंध में अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है, उसकी सम्पत्ति है या कि उस पर उसका अधिकार प्रतिकूल कब्जा या अन्यथा के कारण अर्जित हुआ है, तो वह राजमार्ग प्राधिकार या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित

करते हुए सूचना में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर समाहर्ता के समक्ष अपील करेगा । समाहर्त्ता सम्यक् जाँचोपरान्त अपना निर्णय अभिलिखित करेगा और उसे अपीलकर्त्ता तथा राजमार्ग प्राधिकार या वैसे पदाधिकारी को संसूचित करेगा । राजमार्ग प्राधिकार या वैसा पदाधिकारी समाहर्त्ता से सूचना प्राप्ति तक इस मामले में आगे की कारवाई प्रवरित रखेगा ।

25. **अतिक्रमण हटाने में लागत राशि की वसूली**- (1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकार या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी धारा 23 के प्रावधानों के अधीन किसी अतिक्रमण को हटा दिया हो या किसी अतिक्रमण के संबंध में संरक्षात्मक कार्य किया हो तो उसमें लागत व्यय की वसूली आगे विहित रीति से अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल की जायेगी ।

(2) राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को व्ययित राशि का विपत्र, इस निदेश के साथ कि निर्दिष्ट अवधि के अन्दर राशि का भुगतान विपत्र में अंकित प्राधिकार को कर दें, तामिल कराया जायेगा ।

(3) विपत्र के साथ राजमार्ग प्राधिकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत पदाधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न रहेगा कि विपत्र में दर्शायी गयी राशि वस्तुतः व्यय हुई लागत है और ऐसा कोई प्रमाण-पत्र वस्तुतः व्ययित लागत का निर्णायक प्रमाण होगा ।

(4) अतिक्रमण उन्मूलन के परिणामस्वरूप बरामद सामग्री, यदि कोई हो, विपत्र की राशि का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सौंप दिया जायेगा, परन्तु निर्दिष्ट अवधि के भीतर, राशि का भुगतान करने में उसके असफल होने के स्थिति में बरामद, सामग्रियों की नीलामी की जायेगी और नीलामी के फलस्वरूप प्राप्ति से विपत्र राशि का समायोजनोपरान्त शेष, यदि कोई हो ऐसे व्यक्ति को दे दिया जायेगा ।

(5) यदि नीलामी के फलस्वरूप प्राप्ति से विपत्र की कुल राशि का समायोजन न हो पाये तो सामग्री की बिक्री के बाद बची बकाया राशि या यदि कोई सामग्री बेचने हेतु नहीं हो तथा विपत्र राशि का भुगतान उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति से विपत्र की पूरी राशि की वसूली बकाया भू-राजस्व के रूप में की जायेगी ।

(6) यदि अतिक्रमण किसी समूह या संस्था द्वारा किया जाता है तो अतिक्रमणकारी के साथ कार्यरत या उसका सहयोगी, प्रत्येक न्यासी और कर्मचारी भुगतान का उत्तरदायी होगा और भुगतान नहीं प्राप्त होने की स्थिति में, उसकी वसूली बकाया भू-राजस्व के रूप में सर्टिफिकेट कार्यवाही द्वारा की जायगी । ऐसी कार्यवाही एक साथ अपराध स्थल पर, व्यक्तियों के गृह जिले में या जहाँ पर व्यक्ति या उसके सम्बद्धों के नाम स्थावर सम्पत्ति अवस्थित हो, प्रारम्भ की जायेगी ।

25-क पथ सीमा/नियंत्रण रेखा के पुर्नपरिभाषित हो जाने के पश्चात् किसी भी उपयोगी रेखा या संरचना जिसमें विद्युत, जलापूर्ति, दूरभाष, तेल प्रवाही सरणी (ओ० एफ० सी०) आदि शामिल है, के स्वामी / नियंत्रक अपने खर्चे पर उसे ऐसे संरेखणपर हटा/स्थानान्तरित कर लेंगे जो राजमार्ग के उद्देश्य को बाधित नहीं करें । इस उद्देश्य से सुरक्षित संरेखण राजमार्ग प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

अध्याय-5
मुआवजा

26. **कतिपय मामलों में न्यूनतम क्षति किया जाना एवं मुआवजा**- राजमार्ग प्राधिकार या धारा-6 के अधीन नियुक्त किसी पदाधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन या अन्य प्रकार से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षति यथा संभव कम से कम हो और इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रकार से मुआवजा किसी व्यक्ति, जो ऐसी शक्तियों के प्रयोग के क्रम में क्षित उठाया हो, को भुगतान किया जायेगा -

(क) धारा 9 के अन्तर्गत प्रतिबंध आरोपित करना,

(ख) धारा 12 के अन्तर्गत किसी निर्माण, या उसके अंश को पुर्ननिर्धारित करना,

(ग) धारा 13 के अन्तर्गत किसी राजमार्ग पर, गमनाधिकार को विनियमित या अपवर्तित करना,

(घ) धारा 14 के अन्तर्गत किसी भूमि पर प्रवेश, सर्वे, माप तथा अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई,

(ड.) धारा 52 के अन्तर्गत किसी राजमार्ग या उसके किसी अंश को बन्द करना,

27. **एकरारनामा द्वारा मुआवजा रकम का निर्धारण**- धारा-26 के अधीन देय मुआवजा रकम, व्यक्ति जिसे यह भुगतान किया जाना है, तथा वैसी राशि का हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य प्रभाजन का निर्धारण राजमार्ग प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी और उसमें हितबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य करारनामा के द्वारा होगा ।

28. **करारनामा के अभाव में मुआवजा रकम का निर्धारण** - धारा-27 के अधनी किसी करारनामा के अभाव में, राजमार्ग प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, जाँच कर निम्नांकितों के निर्धारिणार्थ एक अधिनिर्णय देगा :-

(क) धारा 26 के अधीन भुगतेय मुआवजा राशि,

(ख) ऐसी मुआवजा रकम का सभी ज्ञात या विश्वस्त हकदारी हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रभाजन, यदि कोई हो,

परन्तु यह कि राज्य सरकार या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे पदाधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट रकम से अधिक मुआवजा का अधिनिर्णय पारित नहीं किया जायेगा ।

29. **किसी अन्य विधि के तहत समान प्रतिबंध लागू हो या मुआवजा प्राप्त कर ली गयी हो तो मुआवजा देय नहीं होगा**- मुआवजा अधिनिर्णित नहीं किया जायेगा -

(i) यदि जिस तिथि को इस अधिनियम के अधीन प्रतिबंध आरोपित किये जाये, उस तिथि को वास्तविक रूप से उस भूमि पर किसी अन्य विधि के अन्तर्गत असलियत में समान प्रतिबंध प्रभावी हों,

(ii) यदि इस अधिनियम के अधीन समान प्रतिबंध के संदर्भ में या किसी अन्य विधि के अधीन असलियत के अधीन असलियत में समान प्रतिबंध प्रभावी रहने के कारण भूमि के संबंध में दावेदार या उसके हित में उसके पूर्वज को पहले ही मुआवजा का भुगतान किया जा चुका हो ।

30. **निर्माण की अनुमति की अस्वीकृति के मामलों में मुआवजा**- जब धारा 9 या 10 के किसी उत्थान की अनुमति अस्वीकृत कर दी गयी हो, तब मुआवजा की रकम, इस अधिनियम की धारा 19-ख के अधीन निर्धारित भूमि के मूल्य एवं यदि अनुमति की स्वीकृति दी जाती तो जो मूल्य होता, के अन्दर की राशि से अधिक नहीं होगी । ऐसे मूल्य के निर्धारण के क्रम में भूमि पर निर्माण उत्थापित

करने या अन्यथा उपभोग, कब्जा या बेचने हेतु मुआवजा का दावा करने वाले व्यक्ति के अधिकार के संबंध में तत्सम प्रभावी किस अन्य विधि के अन्तर्गत उस भूमि के किसी प्रतिबंध के अध्यधीन रहने के संबंध में भी विचार किया जायेगा ।

31. अपवर्तित गमन का मुआवजा वैकल्पिक गमन की लागत से अधिक नहीं होना– जहाँ राजमार्ग पर गमनाधिकार किसी अपवर्तन या उसके बन्द होने के परिणामस्वरूप विनष्ट हो गया हो और एक वैकल्पिक गमन उपलब्ध कराया गया हो, वहां मुआवजा की रकम दावेदार की सम्पत्ति से वैकल्पिक मार्ग तक के लिए बनाये गये नये गमन मार्ग की लागत से किसी भी रूप में अधिक नहीं होगी ।

32. खड़ी फसलों, पेड़-पौधों की कटाई आदि के लिए मुआवजा– (1) धारा-14 के अधीन प्रवेश, सर्वेक्षण या मापी या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई के समय प्रवेश, सर्वेक्षण, मापी या किसी प्रकार की कार्रवाई करने वाला पदाधिकारी उस भूमि पर ऐसे प्रवेश, सर्वेक्षण, मापी या किसी कार्य निष्पादन के क्रम में ,खड़ी फसल या पेड़-पौधों की कटाई या किसी अस्थायी संरचना के हटाये जाने, यदि कोई हो, के कारण हुई आवश्यक क्षति के लिए हकदार व्यक्ति को मुआवजा देगा या प्रस्तावित करेगा । यदि ऐसे भुगतान या प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता विवादित हो तो संबंधित पदाधिकारी तुरन्त मामले को राजमार्ग प्राधिकार को निर्देशित करेगा तथा उक्त प्राधिकार न्यूनतम व्यवहारिक विलम्ब के साथ विवाद का निपटारा करेगा और मुआवजा के रूप में निर्धारित रकम का भुगतान हकदार व्यक्ति को करेगा । राजमार्ग प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) यदि धारा-19 के अधीन भूमि का कब्जा लेते समय उस भूमि में कोई खड़ी फसल, पेड़-पौधा या अस्थायी संरचना हो तो, राजमार्ग प्राधिकार हकदार व्यक्ति को वैसी खड़ी फसल, पेड़-पौधा या अस्थायी संरचना हेतु मुआवजा देगा या प्रस्तावित करेगा। यदि वैसी रकम की पर्याप्तता विवादित हो तो धारा 19-ख के अधीन ऐसी भूमि के लिए मुआवजा का निर्धारण करते समय वैसी खड़ी फसल, पेड़-पौधों और अस्थायी संरचना के मूल्य पर विचार किया जायेगा।

33. अवैध उत्थान हेतु मुआवजा का नहीं होना– यदि किसी व्यक्ति ने राजमार्ग के उद्देश्य से अर्जित किसी भूमि पर अनधिकृत रूप से किसी निर्माण का उत्थापन, पुर्नउत्थापन, परिवर्धन या संशोधन कर लिया हो तो उस प्रकार के उत्थापन, पुर्नउत्थापन, परिवर्धन या संशोधन से भूमि के मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी पर भूमि के मूल्य का प्राक्कलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा ।

34. अतिक्रमण हटाने हेतु मुआवजा का नहीं होना– किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा ।

35. धारा-28 के अधीन राजमार्ग प्राधिकार या प्राधिकृत पदाधिकारी के अधिनिर्णय के विरुद्ध माध्यस्थम के लिए निर्देश– (1) राजमार्ग प्राधिकार या धारा 28 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के अधिनिर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति मामले को धारा 19-ख की उपधारा (8) के अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थ को सुपुर्द करने के लिए, राजमार्ग प्राधिकार या वैसे पदाधिकारी को लिखित आवेदन देगा ।

(2) ऐसा आवेदन अधिनिर्णय के छः सप्ताह के भीतर दिया जायेगा और ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा विहित हो।

(3) राजमार्ग प्राधिकार या प्राधिकृत पदाधिकारी उस रूप में मामला निर्देशित करेगा जैसा कि विहित हो।

36. धारा 35 एवं 44 के अधीन प्राप्त मामलों पर निर्णय लेने हेतु शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ :- (1) धारा-35 एवं 44 के अधीन निर्देश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाही समझा जायेगा और उसके परीक्षण के लिए शक्ति प्रदत्त प्राधिकारगण उस संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे ।

(2) धारा-35 एवं 44 के अधीन निर्देशित जाँच का दायरा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपधारा (1) में उल्लेखित प्राधिकारी को निर्देशित मामलों पर विचार तक सीमित रहेगा ।

37. पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक या अन्य पदाधिकारी द्वारा किसी भी अतिक्रमण को हटाना :- अगर यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के सम्पादन में या किसी अतिक्रमण को हटाने में राजमार्ग प्राधिकार या कोई पदाधिकारी या कर्मचारी विरोध या बाधा का सामना करें तो राजमार्ग प्राधिकार या पदाधिकारी या कर्मचारी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु शक्ति प्रदत्त ऐसे पदाधिकारी को एक आवेदन देगा जिसपर जिला पुलिस अधीक्षक या ऐसी शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी समर्पण, हटाना या कार्य संपादन जैसा भी मामला हो, लागू करायेगा ।

38. धारा-35 एवं 44 के अधीन प्राधिकारों के निर्णयों का सिविल न्यायालय के डिक्री के समान प्रवर्तनीय होना :- धारा-35 एवं 44 के अधीन निर्देशों पर निर्णय करने हेतु शक्ति प्रदत्त प्राधिकारों के निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रवर्तनीय होंगे ।

39. अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान :- (1) धारा-27 के अधीन करारनामा के द्वारा मुआवजा निर्धारण पर, या

(2) धारा 28 के अधीन किसी अधिनिर्णय के होने पर, या

(3) ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध धारा-35 के अधीन कोई निर्देश किये जाने पर,

राजमार्ग प्राधिकार करारनामा के अनुसार अधिनिर्णय के अनुसार या धारा-35 के अधीन निर्देशों को निष्पादित करने की शक्ति प्रदत्त प्राधिकार के निर्णय के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अधिनिर्णित हकदारी व्यक्ति को मुआवजा का भुगतान करेगा । ऐसे भुगतान पर धारा-19 के प्रावधान यथावश्यक संशोधन सहित लागू होंगे ।

40. समायोजन द्वारा भुगतान :- राजमार्ग प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन मुआवजा के रूप में किसी व्यक्ति को देय, भुगतान, यथा संभव, ऐसे व्यक्ति के अध्याय-6 के अधीन सुधार शुल्क, यदि कोई हो, का सामंजन, के उपरान्त किया जायेगा ।

अध्याय-6

सुधार शुल्क का उद्ग्रहण

41. जहां किसी कार्य को प्रारम्भ करने हेतु राजमार्ग प्राधिकार को इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या के अधीन शक्तियाँ हों, वहां राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी, ज्ञात व्यक्तियों या ऐसे कार्य से लाभान्वित होने वाले भूमि के स्वामी या हितबद्ध के रूप में माने जाने वालों को नोटिस जारी कर निदेश देगा कि वे निर्धारित समय एवं स्थान पर या किसी अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर (ऐसा समय नोटिस की तिथि से तीस दिनों से पूर्व का नहीं होगा) ऐसी भूमि पर सुधार शुल्क के आरोपण एवं वसूली के संबंध में अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, को अभिकथित करें,

परन्तु यह कि ऐसी नोटिस तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक कि समाहर्ता, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, अधिघोषित न कर दे कि ऐसे कार्य की संरचना के कारण ऐसी भूमियों के मूल्य में वृद्धि होने वाली है या हो गयी है ।

42. जाँच एवं आदेश :- धारा-41 के अधीन निर्धारित तिथि पर या ऐसी अन्य तिथि, जिस पर जाँच स्थगित की जा सके, धारा-41 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी, किसी औपचारिक जाँचोपरान्त और धारा-41 के अधीन जारी नोटिस के अन्तर्गत अपेक्षित अभिकथित आपत्तियों, यदि कोई हो, की सुनवाई करने के पश्चात्, एक आदेश पारित करेगा । आदेश में निम्नांकित निर्दिष्ट रहेगा-

(क) कार्य की संरचना से लाभान्वित भूमि,

(ख) प्रस्तावित संरचना से ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि,

(ग) प्रत्येक उक्त भूमि पर उदग्रहित किये जाने वाले सुधार शुल्क की रकम,

(घ) वह तिथि जिसके प्रभाव से ऐसे सुधार शुल्क का उद्ग्रहण किया जाना है,

परन्तु यह कि कोई सुधार शुल्क ऐसी भूमि पर उद्ग्रहण योग्य नहीं होगा, -

(क) जो किसी निर्माण स्थल के विकास के लिए अनुपयुक्त होगा, या

(ख) जो "राजमार्ग के मध्य" से दोनों ओर दो सौ पचास मीटर से परे हो ।

43. मूल्य में वृद्धि एवं सुधार शुल्क :- वैसे कार्य की संरचना के फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि वह रकम होगी जिससे प्रस्तावित कार्य के पूरा होने की तिथि को भूमि के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो या उक्त कार्य के आरम्भ होने की तिथि को भूमि के मूल्य में वृद्धि हो गयी हो । मूल्य में ऐसी वृद्धि की ओर से सुधार शुल्क उद्ग्रहित होगा ।

व्याख्या :- राज्य सरकार, इस अंश के उद्देश्य हेतु, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करेगी -

(क) किसी कार्य की संरचना के आरम्भ होने की तिथि,

(ख) ऐसे कार्य के पूर्ण होने की तिथि ।

44. धारा 42 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध निर्देश :-

(1) सुधार शुल्क के निर्धारण के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति धारा-41 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर मामले को जिला के सिविल न्यायाधीश (वरीय), जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त भूमि अवस्थित है, को निर्देशित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) ऐसा कोई आवेदन, उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्देशित पदाधिकारी के आदेश का उस व्यक्ति को संसूचन की तिथि के छः सप्ताह के अन्दर दिया जायेगा और ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निर्देश किये जाने हेतु समय के निर्धारण की संगणना के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धाराएँ 5, 12 और 14 के प्रावधान लागू होंगे ।

(4) धारा-41 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी, उस रीति से, जैसाकि विहित किया जाय, निर्देश करेगा ।

45. सुधार शुल्क निर्धारण एवं निर्देशित मामले के निर्णय पर आदेश की अन्तिमता :- धारा-44 के अधीन प्राधिकार को किसी निर्देश के अध्यधीन सुधार शुल्क निर्धारण का आदेश धारा-42 के अन्तर्गत दिया जायेगा और धारा-44 के अधीन निर्देश पर प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

46. सुधार शुल्क का भू-राजस्व के पश्चात् प्रथम शुल्क होना :- सुधार शुल्क का निर्धारण संबंधी आदेश में यथानिर्दिष्ट तिथि से, जब ऐसे शुल्क का उद्ग्रहण किया जायेगा या उस तिथि से जो धारा-44 के अधीन प्राधिकार द्वारा शुल्क के उद्ग्रहण के लिए निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी भूमि के संबंध में उद्ग्रहण योग्य सुधार शुल्क राज्य सरकार के बकाये भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व भुगतान के अध्यधीन होगा । भू-राजस्व उस भूमि पर प्रथम शुल्क होगा जिसके संबंध में सुधार शुल्क उद्ग्रहण योग्य है ।

47. सुधार शुल्क का भुगतान :- धारा-71 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गई तिथि को सुधार शुल्क भुगतेय होगा,

परन्तु यह कि भूमि जिसपर ऐसा शुल्क आरोपित किया जाता हो, का स्वामी, राज्य सरकार के पक्ष में इस आशय की सहमति के साथ एक करारनामा प्रस्तुत करेगा कि ऐसे शुल्क की रकम का भुगतान वार्षिक किस्तों में सूद सहित, ऐसी दर पर एवं ऐसी अवधि के अन्दर जो विहित की जाय, करेगा ।

48. सुधार शुल्क का भुगतान के बदले भूमि के विनिमय या अधिभोग त्याग :- धारा-47 के अन्तर्गत किसी प्रावधान के होते हुए भी राज्य सरकार भूमि, जिसपर सुधार शुल्क भुगतेय हो सकेगा, के स्वामी को अनुमति दे सकेगी कि सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी अंश का अधिभोग त्याग करे अथवा शुल्क के भुगतान के बदले विनिमय के रूप में, ऐसी शर्त्तों के अधीन जो विहित की जाय, राज्य सरकार को परिदत्त करें,

परन्तु यह कि ऐसे अधिभोग त्याग या विनिमय की अनुमति नहीं दी जायेगी, जबतक कि भूमि ऋण अवभार से मुक्त न हो ।

अध्याय - 7

यातायात की सुरक्षा और राजमार्गों की क्षति की रोकथाम हेतु अनुपूरक प्रावधान

49. किसी राजमार्ग का उपयोग कर रहे व्यक्तियों की दृष्टिगोचरता में बाधा से उद्भूत खतरे का निषेध :- (1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकार की यह राय हो कि राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों दृष्टिगोचरता में बाधा से (या ऐसे व्यक्ति का ध्यान बंटने से) उद्भूत खतरे का निषेध आवश्यक है, विशेषकर राजमार्ग के किसी मोड़ या कोने पर, तो वह धारा 11 में अन्यथा प्रावधानित के सिवाय, ऐसे राजमार्ग के साथ की, या उस मोड़ या कोने के पास की

भूमि के स्वामी या अधिभोगी पर नोटिस तामिल कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर एवं ऐसी रीति से, जो नोटिस में निर्दिष्ट हो, किसी दीवाल (जो किसी स्थायी संरचना का अंश न हो), घेराबन्दी, बाड़, पेड़-पौधे, विज्ञापनपट्ट, इस्तहार पट्ट या वहां स्थित अन्य किसी वस्तु की ऊँचाई या स्वरूप में परिवर्तन करें, ताकि वहां कि स्थिति नोटिस में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार हो जाय ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर उपधारा-1 के अधीन नोटिस तामिल करायी गयी हो, ऐसी नोटिस में की गयी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में आपत्ति करें तो वह, उसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति, उसके आधारों को अभिकथित करते हुए, कर सकेगा ।

(3) राजमार्ग प्राधिकार, आपत्ति प्राप्ति के एक माह के अन्दर, प्रस्तुत किये गये आधारों पर विचार करेगा, और लिखित आदेश द्वारा, या तो नोटिस वापस लेगा या उसे संशोधित करेगा या उसे सम्पुष्ट करेगा।

(4) अगर कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन राजमार्ग प्राधिकार द्वारा जारी आदेश से असंतुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश के, उसे संसूचित किये जाने के 15 दिनों के अन्दर, समाहर्ता के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय मामले में अन्तिम होगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन संशोधित या संपुष्ट, जैसा भी मामला हो, नोटिस के उपधारा (1) के अधीन तामिला होने पर उसका अनुपालन करने में असफल रहे तो राजमार्ग प्राधिकार अपने खर्चे पर दृष्टिगोचरता में बाधा उत्पन्न करने वाले या ध्यान बटानेवाले वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देगा और ऐसा खर्च उस व्यक्ति से, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

50. राजमार्ग के असुरक्षित घोषित किये जाने की स्थिति में राजमार्ग प्राधिकार द्वारा यातायात का विनियमन :- यदि किसी समय राजमार्ग प्राधिकार को यह लगे कि उसके प्रभार का कोई राजमार्ग या उसका कोई अंश क्षतिग्रस्त है या क्षति या अन्यथा कारणों से वाहन या पैदल यातायात हेतु असुरक्षित है तो वह, ऐसी नियमावली, जो इस हेतु विहित की जाय, के अध्यधीन, राजमार्ग या उसके किसी अंश को या तो सभी प्रकार के यातायात के लिए या यातायात के किसी वर्ग के लिये बन्द कर सकेगा या राजमार्ग का उपभोग करने वाले वाहनों की संख्या एवं गति या वजन को विनियमित कर सकेगा।

51. कतिपय राजमार्गों पर भारी वाहनों के उपयोग का निषेध :-

(1) जहां राजमार्ग प्राधिकार संतुष्ट हो कि किसी राजमार्ग या उसका कोई अंश या पुल, पुलिया या सेतुक, जो राजमार्ग पर या उसके आर-पार बना हो, कि बनावट इस प्रकार की नहीं है कि वह इस हेतु निर्धारित ऐसी भारसीमा, जैसाकि इस हेतु निर्धारित की जाय, से अधिक भाराक्रान्त वाहनों को वहन कर सके, तो वह ऐसी नियमावली, जैसाकि इस हेतु विहित की जाय, के अध्यधीन, राजमार्ग पर या राजमार्ग के वैसे अंश पर या वैसे पुल-पुलिया या सेतुक पर ऐसे वाहनों के गमनागमन पर प्रतिबंध या निर्बधन लगा सकेगा।

52. स्थायी रूप से बन्द किये जाने की इच्छा की स्थिति में प्रक्रिया का अनुसरण :-

(1) जहां धारा 50 के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के क्रम में राजमार्ग प्राधिकार किसी राजमार्ग या उसके किसी अंश को स्थायी रूप से बन्द करने की इच्छा रखता हो वहां वह,

शासकीय राजपत्र में ऐसा करने के अपने आशय की नोटिस देगा। अधिसूचना कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगी जिनमें से एक उस क्षेत्रीय भाषा में होगा जिसमें राजमार्ग अवस्थित है ।

(2) नोटिस में वैकल्पिक मार्ग, यदि कोई हो, जो मुहैय्या किया जाना प्रस्तावित हो या जो पूर्व से ही अस्तित्व में हो, को दर्शाया जायेगा और प्रस्ताव पर ऐसे समय, जो कि निर्दिष्ट की जाय, के अधीन, आपत्तियाँ, यदि कोई हो, भी आमंत्रित किये जाने का उसमें उल्लेख रहेगा ।

(3) राजमार्ग प्राधिकार, निर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त, किसी राजमार्ग या उसके किसी अंश को बंद करने के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप देगा और ऐसी आपत्तियों, जो प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त हुयी हों, के साथ अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु समर्पित करेगा ।

(4) राज्य सरकार, उपांतरण के साथ या बिना, या तो प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकेगी या इसे अस्वीकृत कर सकेगी ।

(5) जब राज्य सरकार प्रस्ताव को स्वीकृत करे तो वह अपने आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(6) जब राज्य सरकार का आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो जाय, तब राजमार्ग प्राधिकार आगे प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करते हुए आदेश को कम-से-कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा जिसमें से एक उस क्षेत्रीय भाषा में होगा जिसमें ऐसा राजमार्ग अवस्थित है, और तब राजमार्ग या उसका अंश बन्द कर दिया जायेगा।

(7) जब भी कोई राजमार्ग या उसका कोई अंश इस प्रकार बन्द किया जाय, तो निरा आमजन के अन्यथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को तर्क संगत मुआवजा देगा जो हकदार हो और वैसे राजमार्ग या उसके अंश का उपयोग अपनी सम्पति पर आने-जाने के साधन के रूप में करता हो तथा ऐसे बन्द किये जाने से उसे क्षति पहुँची हो।

53. राजमार्ग पर कतिपय कार्यों हेतु राजमार्ग प्राधिकार की अनुमति की आवश्यकता :-

(1) तत्समय प्रवृत अन्य किसी अधिनियमन में कुछ रहते हुए भी, परन्तु धारा-72 के प्रावधानों के अध्यधीन, राजमार्ग प्राधिकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के अलावे कोई भी व्यक्ति, राजमार्ग प्राधिकार की लिखित अनुमति के अपवादतः, किसी राजमार्ग के नीचे या उपर से उससे होकर, आर-पार तक किसी प्रकार का केबुल, तार, पाईप, नलिका, करौंती या वाहिका या अन्य प्रकार का न तो निर्माण करेगा या न ले जायेगा।

(2) अपनी सहमति देने में राजमार्ग प्राधिकार ऐसी शर्त्तों, जैसाकि वह आवश्यक समझे को, आरोपित कर सकेगा, और राजमार्ग के अंश की किसी भूमि, जिसका दखल हो रहा हो, या प्रस्तावित कार्य हेतु आवेदित हो, के लिए, कोई किराया या अन्य शुल्क आरोपित भी कर सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) का उल्लंघन कर कोई सन्निर्माण या कोई कार्य आरम्भ करता है तो राजमार्ग प्राधिकार ऐसे कार्य को अतिक्रमित संरचना मानते हुए हटाने एवं धारा-23

के प्रावधानों के अनुसार राजमार्ग को उसके पूर्व स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था कर सकेगा और इस उद्देश्य से राजमार्ग प्राधिकार द्वारा वहन किया गया व्यय, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य संभावित कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 25 में प्रावधानित प्रक्रिया, जहां तक वह प्रक्रिया लागू हो, के अनुसार वसूला जायेगा ।

54. **क्षतिग्रस्त राजमार्ग का निषेध एवं सुधार :-** (1) कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने किसी वाहन या पशु के द्वारा राजमार्ग को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा या पहुँचाने की अनुमति नहीं देगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी प्रकार की क्षति पहुँचे वहां राजमार्ग प्राधिकार क्षति की मरम्मती करायेगा और धारा (1) के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य संभावित कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय की वसूली धारा-25 में प्रावधानित प्रक्रिया, जहां तक वह लागू हो, के अनुसार की जायेगी ।

अध्याय-8

शास्तियाँ

55. **आदेशों, निदेशों की अवज्ञा और सूचना आदि देने से इन्कार :-** जो कोई इस अधिनियम के अधीन ऐसा निदेश देने की शक्ति प्रदत्त किसी व्यक्ति या प्राधिकार के विधि पूर्वक दिये गये निदेश की जानबूझकर अवज्ञा करे या किसी व्यक्ति या प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या शक्तिप्रदत्त कर्तव्य सम्पादन में बाधा पहुँचाये या इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना रोक रखें या जानबूझकर ऐसी सूचना दे जो वह जानता हो कि गलत है या जिसे वह सत्य नहीं समझता है, तो दोषी ठहराये जाने पर जुर्माना सहित दण्ड का भागी होगा जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकता है ।

56. **गमन या किसी निमार्ण के उत्थापन आदि पर प्रतिबंध का उल्लंघन :-** जो कोई भी किसी निर्माण का उत्थापन, परिवर्तन या विस्तारण करे या कोई खुदाई करें या किसी राजमार्ग तक या से किसी प्रकार के पहुँच मार्ग का सन्निर्माण करें या धारा-9 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई अन्य कार्य करें, तो दोषी ठहराये जाने पर दण्ड का भागी होगा-

(क) जुर्माना से, जो दस हजार रुपये तक होगा, और

(ख) इसके आगे जुर्माना से, जो ऐसे दण्ड के पश्चात् पाँच सौ रुपये तक प्रतिदिन होगा, जिस अवधि तक उल्लंघन करनेवाली संरचना या कार्य हटा न लिया जाय, ध्वस्त न कर दिया जाय या साफ न कर दिया जाय और स्थल अपने मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित न कर दिया जाय ।

57. **राजमार्गों का अनधिकृत दखल :-** (क) जो कोई धारा 21 की उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी राजमार्ग पर दखल या अतिक्रमण करें, या

(ख) धारा-23 की उपधारा (1) के अधीन उसे तामिल कराई गयी नोटिस का वैध कारणों के बिना अनुपालन करने में असफल रहे, दोषी ठहराये जाने पर दण्ड का भागी होगा -

(i) प्रथम अपराध हेतु जुर्माना से, जो दो हजार रुपये तक होगा,

(ii) समान अतिक्रमण के उत्तरवर्ती अपराध हेतु जुर्माना से, जो पाँच हजार रुपये तक होगा, इसके साथ-साथ जबतक राजमार्ग पर ऐसे दखल या अतिक्रमण को जारी रखा जायेगा, तबतक के लिए आगे दो सौ रुपया प्रतिदिन तक के जुर्माना से ।

58. **राजमार्गों को क्षति पहुँचाना** :- जो कोई धारा-54 की उपधारा (1) के उल्लंघन में जानबूझकर अपने किसी वाहन या पशु द्वारा किसी राजमार्ग को कोई क्षति पहुँचाता हो या पहुँचाने की अनुमति देता हो, तो दोषी ठहराये जाने पर जुर्माने से, सजा का भागी होगा, जो दो हजार रुपये तक होगा ।

59. **अपराधों हेतु दण्ड के सामान्य प्रावधान** :- जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनी किसी नियमावली या किसी आदेश का उल्लंघन करें, दोषी ठहराये जाने पर, इस हेतु यदि कोई अन्य दण्ड प्रावधानित नहीं हो तो दण्ड का भागी होगा-

(क) किसी प्रथम अपराध हेतु जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक होगा, और

(ख) किसी उत्तरवर्ती अपराध हेतु जुर्माना से, जो पाँच हजार रुपये तक का होगा ।

टिप्पणी :- जब कभी, जो कोई, इस अधिनियम के धारा-55, 56, 57, 58, और 59 के अधीन दंडित जुर्माना भरने से असफल रहे - तब भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 67 और 68 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा ।

60. **अपराधों के शमन की शक्ति** :- इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध राजमार्ग प्राधिकार द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की गयी हो तो समझौते की शर्त्तों को पूरा किये जाने पर, प्रशमन किसी आरोपमुक्ति तक होगा और किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की परिसम्पति के विरूद्ध, उन्हीं तथ्यों पर, आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अध्याय - 9

प्रकीर्ण

61. **पुलिस की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य** :- प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी, किसी अपराध, जो इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनी नियमावली के विरुद्ध किया गया हो, की, उसे जानकारी मिलने पर उसकी सूचना तत्क्षण निकटतम राजमार्ग प्राधिकार या राजमार्ग प्राधिकार के अधीनस्थ निकटतम पदाधिकारी को और राजमार्ग प्राधिकार तथा उसके पदाधिकारी एवं कर्मचारी को विधिसम्मत प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देने को बाध्य होगा ।

62. **ग्राम अधिकारियों के कर्त्तव्य** :- प्रत्येक ग्राम प्रधान, ग्राम लेखापाल, ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम अधिकारी, चाहे जिस किसी भी नाम से पुकारा जाय, जब कभी उसे यह ज्ञात हो कि किसी राजमार्ग का कोई सर्वेक्षण चिह्न या कोई परिसीमा चिह्न या किसी राजमार्ग के संबंध में निर्धारित निर्माण या नियंत्रण रेखा को दर्शाता कोई चिह्न विनष्ट, क्षतिग्रस्त अपस्तृत, स्थानच्युत किया गया है या अन्यथा उसके साथ छेड़ छाड़ किया गया है, अथवा कि किसी राजमार्ग को क्षति पहुँचायी गयी है या किसी राजमार्ग पर अतिक्रमण किया गया है, तो इसकी सूचना तत्क्षण निकटम थाना, या निकटतम राजमार्ग प्राधिकार या राजमार्ग प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को देगा ।

63. राजमार्ग का पथ से इतर उपयोग की शक्तियों :-राजमार्ग प्राधिकार किसी राजमार्ग के अंश की भूमि, जिसकी यातायात के लिए तुरत आवश्यकता नहीं हो को अस्थायी तौर पर पथ से इतर उद्देश्य हेतु उपयोग और ऐसी भूमि की उपज का निपटान कर सकेगा ।

64. सरसरी बेदखली :- कोई व्यक्ति गलत ढंग से किसी ऐसी भूमि पर दखल करता हो -

(क) जो राजमार्ग का एक अंश है,

(ख) जिस पर दखल किया जाना इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंधन करता हो और ऐसे प्रावधान में ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का उपबंध नहीं हो, तो उसे राजमार्ग प्राधिकार या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उपायुक्त द्वारा "अतिक्रमण अपसरण अधिनियम" या राज्य के किसी भाग में लागू भूराजस्व संबंधी कानून, जो भी मामला हो, के तहत सरसरी तौर पर बेदखल कर दिया जायेगा ।

65. सरसरी जाँच :-(1) राजमार्ग प्राधिकार या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, यदि वह इस अधिनियम के उद्देश्य से कोई जाँच करना चाहे, "अतिक्रमण अपसरण अधिनियम" के अन्तर्गत सरसरी जाँच के लिए उपबंधित रीति के अन्तर्गत या राज्य के किसी भाग में लागू भूराजस्व संबंधी किसी कानून के अन्तर्गत जाँच करेगा और उक्त अधिनियम या संहिता या कानून में निहित किसी सरसरी जाँच के संबंध में सभी प्रावधान, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे ।

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी कानून में सरसरी जाँच के लिए कोई प्रावधान नहीं हो, वहां ऐसी जाँच वैसी अन्य रीति से होगी जैसाकि उस कानून में प्रावधनित है ।

(2) राजमार्ग प्राधिकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या इस अधिनियम के अन्तर्गत राजमार्ग प्राधिकार को किसी व्यक्ति को बुलाने एवं उपस्थिति बाध्य करने तथा शपथ पर परीक्षण करने और दस्तावेज की प्रस्तुति हेतु विवश करने के लिए वही शक्तियाँ होगी जैसाकि "अतिक्रमण अपसरण अधिनियम" या राज्य के किसी भाग में भूराजस्व संबंधी लागू किसी कानून में राजस्व पदाधिकारियों में निहित है ।

66. धारा-8 के अधीन नक्शा का निबंधन आवश्यक नहीं होना :- (1) भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत कुछ भी धारा-8 के अधीन बने नक्शो के निबंधन की अपेक्षा करता हुआ नहीं समझा जायेगा ।

(2) सभी ऐसे नक्शे, भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धाराएँ-49 एवं 50 के उद्देश्य के, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निबंधित हो गयी एवं निबंधित समझे जायेंगे , परन्तु यह कि नक्शे, विहित की गयी रीति से, जनता के अवलोकनार्थ सुगम रहेंगे ।

67. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना :- राजमार्ग प्राधिकार और इस अधिनियिम के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी एवं अन्य व्यक्ति, भारतीय दण्ड की धारा-21 के अन्तर्गत, लोक सेवक समझे जायेंगे ।

68. अधिकारिता (क्षेत्राधिकार) का वर्णन :-किसी सिविल न्यायालय का किसी प्रश्न को निबटाने, विनिश्चय या विवेचन करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन राजमार्ग प्राधिकार, उपायुक्त , इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या व्यक्ति, धारा 35 या धारा 40 के अधीन किसी प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा निबटाया जाना, विनिश्चय किया जाना या विवेचन किया जाना अपेक्षित हो ।

69. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वादों की परिसीमा या अभियोजन की परिसीमा :-(1) इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत लोक सेवक या पदाधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किया जाना आशयित कुछ भी के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी लोक सेवक या पदाधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किये गये या किया जाना आशयित कुछ भी के संबंध में कोई वाद या अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा जबतक कि वाद या अभियोन परिवादित कार्य की तिथि से छह माहों के अन्दर संस्थित नहीं किया गया हो ।

70. नोटिस एवं इस्तहारों का तामिल :- (1) इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी या तैयार की गयी प्रत्येक नोटिस या इस्तहार नियमानुसार तामिल या पेश किये जा सकेंगे :-

(क) व्यक्ति, जिसे यह सम्बोधित है, या इसके अभिकर्त्ता, को परिदान या निविदान द्वारा या डाक से भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा कोई व्यक्ति या उसका अभिकर्त्ता नहीं मिल पाता हो तो उसके सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर छोड़कर अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदान कर अथवा निर्माण या भूमि जिससे यह संबंधित है, यदि कोई हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर उसे चिपकवा कर ।

(2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस किसी निर्माण या भूमि के स्थायी या दखलकर्त्ता को तामिल किया जाना अपेक्षित हो, वहाँ स्वामी या दखलकर्त्ता का नाम लिया जाना आवश्यक नहीं होगा, और वहाँ तामिला, या तो

(क) स्वामी या दखलकर्त्ता को या यदि एक से अधिक स्वामी या दखलकर्त्ता है तो उनमें से किसी एक को नोटिस का परिदान या निविदान कर या डाक से भेजकर प्रभावी किया जायेगा, या

(ख) यदि ऐसा कोई स्वामी या दखलकर्त्ता नहीं मिल पाता हो तो नोटिस उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को देकर या परिदान कर या निर्माण या भूमि जिससे यह संबंधित है, के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवाकर प्रभावी किया जायेगा।

(3) जब कभी व्यक्ति, जिसे कोई नोटिस या इस्तहार तामिल किया जाना हो, अल्पवयस्क हो तो उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर पर किया गया तामिला उस अल्प वयस्क पर किया गया तामिला समझा जायेगा।

71. नियमावली बनाने की शक्तियाँ :- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के सभी या किसी उद्देश्य को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली बना सकेगी -

(2) खास तौर पर, और पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नाकिंत सभी या उनमें से किसी विषय पर नियम बना सकेगी ।

(क) रीति, जिसमें धारा-की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना गाँव एवं जिला, प्रखण्ड या अनुमण्डल के मुख्यालयों में प्रकाशित की जा सकेगी,

(ख) अन्य स्थान, जहाँ धारा-8 के अधीन नक्शों की प्रतिलिपियाँ निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

(ग) धारा-9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्रपत्र एवं उसकी विषय वस्तु,

(घ) अन्य कार्य एवं चीजे, जो धारा-16 के अधीन भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी

(घ-1) रीति, जिसमें धारा-19ग के अधीन रकम जमा की जायेगी,

(ड0) शर्ते, जिन पर और किराया या शुल्क, जिनके भुगतान पर राजमार्ग पर अतिक्रमण किया जा सकेगा,

(च) रीति, जिसमें धारा-35 या 44 के अधीन निर्देश किये जायेंगे,

(छ) तिथि, जब सुधार शुल्क धारा-47 के अधीन भुगतेय होगा एवं सूद के साथ-साथ किस्तों के निर्धारण, और अवधि जिसके अन्दर उक्त धारा के प्रावधान के अधीन ऐसी किस्तें अदा की जायेगी ,

(ज) शर्ते जिन पर किसी भूमि का धारा-48 के अधीन परित्याग या परिदान विनिमय के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में किया जा सकेगा,

(झ) नियमावली, जिसके अध्यधीन किसी वर्ग के यातायात के लिए राजमार्ग या उसका कोई अंश बन्द किया जा सकेगा अथवा धारा-50 के तहत राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या एवं गति या वजन विनियमित किया जा सकेगा,

(ञ) नियमावली, जिसके अध्यधीन धारा-51 के तहत वाहनों का परिचालन निषिद्ध किया जा सकेगा,

(ट) राजमार्ग या उपयोग करने वाले व्यक्ति की दृष्टिगोचरता में बाधा या उसका ध्यान बंटने से उद्‌भूत खतरा से निवारण तथा जनता को क्षोभ खतरा या क्षति का निवारण ,

(ठ) राजमार्ग की किसी क्षति पर या के नजदीक बाधा, अतिक्रमण या न्यूसेंस का निवारण,

(ड) राजमार्ग परिसीमा और निर्माण एवं नियंत्रण रेखाओं को सीमांकित करने वाले परिसीमा चिन्हों का समुचित रख-रखाव ,

(ढ) आवेदन के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रपत्र तथा व्यक्ति पर तामिल के लिए अपेक्षित नोटिस एवं इस्तहार के प्रपत्रों, नक्शें की प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिए शुल्क और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लगाये जाने वाले या अधिभारित किये जाने वाले किराया या अन्य शुल्कों को विहित किया जाना,

(ण) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्य निष्पादन के लिए राजमार्ग प्राधिकार को सामान्य निदेश,

(त) गमनागमन के वर्तमान अधिकारों का विनियमन या अपयोजन,

(थ) कोई अन्य विषय जो विहित किये जा सकें ।

72. व्यावृति :- (1) इस धारा के प्रावधानों के अध्यधीन, इस अधिनियम में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा -

(क) किसी मल निःसरण नाली, जल निकासी मार्ग या अन्य कार्य को विछाने बनाने,परिवर्तित करने, मरम्मती करने या नवीकृत करने के उद्‌देश्य से कोई खुदाई करने के किसी स्थानीय प्राधिकार के अधिकारें की या,

(ख) गैस या जल, विद्युत, रेलमार्ग, ट्राम मार्ग या ट्राली वाहनों के लिए कोई मुख्य प्रणाल, स्लूइस वीयर, विद्युत् प्रवाह, नाली, नालिका या अन्य उपकरण को विछाने, बनाने, परिवर्तित करने, मरम्मती करने या नवीकृत करने के उद्‌देश्य से कोई सहारा उत्थापित करने या कोई खुदाई करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी कानून के अन्तर्गत नियुक्त किसी प्राधिकार के अधिकारों को या,

(ग) ऐसे किसी रेलमार्ग प्रशासन या ऐसे किसी व्यक्ति की इस संबंध में सहमति के सिवाय, किसी रेलमार्ग प्रशासन अथवा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अधीन विद्युत उत्पादन, रूपान्तरण या विरतण के लिए अनुज्ञप्तिधारक या स्वीकृतिधारक किसी व्यक्ति की, किसी भूमि को, जब ऐसी भूमि रेल मार्ग प्रशासन द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, रेलमार्ग के उद्‌देश्य से या विद्युत उत्पादन, रूपान्तरण या वितरण के उद्‌देश्य से, धारित हो या उपयोग किया जा रहा हो, या ,

(घ) किसी छावनी या किसी बन्दरगाह जो संसद द्वारा निर्मित किसी कानून या वर्तमान कानून के द्वारा या के अधीन मुख्य बन्दरगाह घोषित, हो के क्षेत्र सीमाओं के बीच पड़ने वाली भूमि को, या,

(ड.) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थानीय प्राधिकार की अधिकारिता वाली किसी भूमि को ।

परन्तु यह कि-

(i) किसी पथ को या से गमनागमन के साधन का सन्निर्माण, विरचना या अभिविन्यास के संबंध में धारा-9 के अधीन लागू कोई प्रतिबन्ध पूर्वोक्त ऐसी सहमति के बिना, किसी ऐसी भूमि, जैसाकि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट है, तक विस्तृत रहेगा, जहाँ तक प्रतिबंध ऐसी भूमि के उपर या नीचे से अन्य निर्दिष्ट भूमि तक गमनागमन के साधन से संबंधित है । और

(ii) इस धारा के उद्‌देश्य से अपेक्षित कोई सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी नहीं जायेगी और ऐसी अपेक्षित सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी जाय या नहीं का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अधीन टेलीग्राफ प्राधिकार की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगा ।

73. **अन्य कानूनों के असंगत प्रावधानों पर इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों का अभिभावी प्रभावी होना:–** धारा–72 में यथा– उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रावधान या इसके तहत किसी विषय के संबंध में बनी नियमावली का, राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित किसी कानून या कोई कानून जो राज्य विधान सभा बनाने या संशोधित करने में सक्षम हो, के प्रावधानों पर अभिभावी प्रभाव होगा, जहाँ तक ऐसा कानून उक्त प्रावधानों या नियमों से असंगत नहीं हो, और ऐसी असंगतता की हद तक ऐसा कानून का लागू होना समाप्त हो जायेगा या ऐसे किसी विषय में लागू नहीं होगा।

74. **राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ–साथ की निर्माण एवं नियंत्रण रेखाएँ (और सुधार शुल्क का उद्ग्रहण):–** शंका को परिवर्जित करने हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में कुछ भी उन राजमार्गों पर लागू नहीं होगा जो संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग है या घोषित किये गये हैं,

परन्तु यह कि यदि कोई राजमार्ग संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है तो राज्य सरकार के लिए यह विधि सम्मत होगा कि धारा–7 के अधीन राजमार्ग के विभिन्न प्रभागों के लिए निर्माण एवं नियंत्रण रेखाएँ निर्धारित करें या धारा–42 के अधीन भूमि पर सुधार शुल्क उद्ग्रहित करें जिसका मूल्य ऐसे राजमार्ग पर सन्निर्माण या प्रस्तावित सन्निर्माण के कारण बढ़ गया हो, और तत्पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधान, जहाँ तक ये राजमार्ग परसीमा एवं निर्माण रेखा के बीच या निर्माण रेखा एवं नियंत्रण रेखा के बीच के प्रतिबंधों तथा ऐसे निर्माण एवं नियंत्रण रेखाओं से संबंधित अन्य प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, सुधार शुल्क संबंधी प्रावधान, यथावश्यक परिवर्त्तन सहित, लागू होगे।

75. **कठिनाईयों का निराकरण** :– (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कठिनाइयों का निराकारण के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत कोई भी कार्रवाई करेगी।

(2) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान की बनावट एवं निर्वचन के संबंध में कोई शंका हो तो उसे राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग को निर्देशित किया जा सकेगा।

– – – – – – –

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम विलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।